हुक्म	
8/8/22	पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का ~~अधिस्वीकार~~ स्थगित किया है। P.O. साहब दौरे पर/~~अवकाश पर~~/ अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि०...12/9/22 को पेश हो। ....रीडर
12-9-22	वकील उभयपक्ष उप० / बाबत बहस पत्रावली 17-10-22 को पेश हो।
17-10-22	वकील उभयपक्ष उप० / वास्ते बहस पत्रा. दि० 7/11/22 को पेश हो।
7-11-22	वकील उभयपक्ष उप० / बहस सुनी गई / वास्ते निर्णय पत्रा. दि० 21-11-22 को पेश हो।
21-11-22	वकील उभयपक्ष उप० / समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका / वास्ते निर्णय पत्रा. दि० 5/12/22 को पेश हो।
5/12/22	वकील उभयपक्ष उप० / सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] रिकार्ड रूम जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

... गंगापुर सिटी ...

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
55 / 2013	22.5.2013	5.12.2022

अजय पुत्र गुलशन जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर हाल निवासी वार्ड नम्बर 2 गुर्जरों की ढाणीं, ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी ——सायल

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी बैराडा तहसील बामनवास हाल निवासी गुर्जरों की ढाणीं, ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी
2. दिनेशचन्द पुत्र महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
3. सुशीला देवी पत्नी कैलाशचन्द, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तह0बामनवास
4. सरस्वती देवी पत्नी ओमप्रकाश, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तह0 बामनवास
5. ममता पत्नी केशव, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तहसील बामनवास
6. प्रभू पि0मु0 लड्डू, गुर्जर नि0मिर्जापुर वा0नं03 नगरपालिका के पास गंगापुर
7. सीमादेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह, राजपूत नि0तालचिडा हाल निवासी गंगापुरसिटी
8. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी
9. सब रजिस्ट्रार उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी
10. प्रभू पुत्र बंशी,गुर्जर नि0मिर्जापुर वा0नं0 3 नगरपालिका के पास,गंगापुर
11. जम्बू पुत्र कन्हैया,गुर्जर नि0 लेदिया वालों के सामने,जयपुर रोड,गंगापुर
12. रामकेश पुत्र जम्बू,गुर्जर नि0लेदिया वालों के सामने,जयपुर रोड,गंगापुर
13. पप्पू पुत्र हजारी,गुर्जर नि0 गुर्जरों की ढाणीं मिर्जापुर गंगापुर सिटी

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट सायल की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट गैरसायल सं0 1 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, गैरसायल नं0 2 की ओर से
श्री भानुकुमार सिंघल,एडवाकेट,गैरसायल नं0 3,4,5 की ओर से
श्री के0के0उपाध्याय, एडवोकेट, गैरसायल नं0 6 की ओर से
श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट, गैरसायल नं0 7 की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, गैरसायल नं0 10 की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मिर्जापुर में भूमि साबिक ख0नं0 49 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 161 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, ख0नं0 164 रकबा 1 विस्वा, ख0नं0 165 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा का इन्द्राज खाते [illegible]चन्द, बंशी पुत्रान रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर के नाम दर्ज रहा है। साबिक ख0नं0 161 से हाल ख0नं0 303 रकबा 0.70 हे0 बना है। यह भूमि पैत्रिक भूमि है एवं इस भूमि में सायल को जन्म से ही कानूनी अधिकार हासिल हो गए हैं। बंश वृक्षावली के अनुसार भूमि में सायल का, सायल के भाई संजय, जुगल किशोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

...ला कलेक्टर
...सिटी (स0मा0)

व मोनू उर्फ महेन्द्र का, सायल के पिता गुलशन का , सायल के चाचा देवीलाल का व सायल की बुआ कैलाशी व शांती का हिस्सा रहा है। सायल के चाचा देवीलाल का इन्तकाल हो चुका है व उसका कोई वारिस नहीं है। उसका हिस्सा सायल के पिता गुलशन में कानूनन मर्ज हो गया है व उस हिस्से में सायल, सायल के अन्य भाई व बुआ जो कि सायल के पिता गुलशन की बहनें हैं, का बराबर हिस्सा कानूनन होता है। सायल के पिता गुलशन ने खिलाफ कानून, कायदा व बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दि0 17.5.2006 को गैरसायल संख्या 8 दिनेशचंद को उक्त आराजियात में से 1/4 हिस्से का बयनामा करा दिया जो कानूनन बहक सायल वोइड व इनइफेक्टिव है। भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। भूमि पैत्रक है जिसमें सायल का वाई वर्थ अधिकार रहा है। उक्त आराजियात पर सायल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बयनामे के आधार पर गैरसायल संख्या 2 ने दिनांक 23.8.2006 को गैरसायल संख्या 3 श्रीमती सुशीला देवी, गैरसायल संख्या 4 श्रीमती सरस्वती देवी, गैरसायल संख्या 5 ममता व दिनांक 23.8.2006 को सुशीला देवी के हक में वयनामा रजिस्टर्ड करवा दिया जो बहक वादी वोइड व इनइफेक्टिव है। हाल ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर का वर्तमान इन्द्राज खातेदारी पूर्णरूपेण गलत है। यह पैत्रक भूमि रही है जिसे वय करने का अधिकार सायल के पिता गुलशन को कानूनन नहीं था न ही रहा है। गैरसायल सं0 6 प्रभू पुत्र बंशी, लड्डू पुत्र हरपाल गुर्जर के यहां गोद जा चुका है। उसका भूमि मुतदाविया से कोई वास्ता नहीं है। देवीलाल पुत्र श्रीचन्द का इन्तकाल हो चुका है, उसका कोई वारिस नहीं है। उक्त आराजी सायल, सायल के भाईयों, सायल के पिता व बुआओं की है। रिकार्ड में भूमि की खातेदारी गैरसायल संख्या 2 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज होने के कारण व भूमि की कीमत बढ जाने के कारण उनकी नियत में गन्दगी आ गई है एवं सायल को उसके हक हकूक से महरूम रखने की गरज से उसके कब्जे काश्त टीनेन्सी खातेदारी में दखलंदाजी करने पर आमादा हो गए हैं। गैरसायल संख्या 1 सुरेश ने अन्य गैरसायल संख्या 2 लगायत 7 से साज कर सायल को भूमि मुतदाविया से लाभान्वित नहीं होने की धमकी दी व गैरसायल संख्या 2 लगायत 7 भूमि को रहन वय करने पर आमादा हो गए। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा शामिला वादपत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे सायल के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर में बहक खातेदारी सायल के उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

किसी प्रकार की माने मजाहमत ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करें ना ही रहन वय करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। गैरसायल संख्या 8, 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6, 11, 13 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी इनकी ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए इनका जबाब बन्द किया गया।

गैरसायल संख्या 1 ने अपने जबाब में सायल के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आबादी में काम आ रही है जिस पर विभिन्न लोगों ने मकान बना लिए हैं, कुछ ने बाउण्ड्री की हुई है जिन पर काश्त सम्भव नहीं है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण सायल ने अपने पिता के साथ मिलकर रूपए ऐंठने की गरज से झूंठा दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीदेवी पत्नी भगवानदास खण्डेलवाल ने सायल के पिता से भूखण्ड संख्या 6 खरीदकर धर्मसिंह को बेच दिया था एवं मिन जबाबदार ने धर्मसिंह से यह भूखण्ड खरीद किया है जिस पर वर्तमान में मिन जबाबदार ने तीन गह पाटोर व दो गह पाटोर कमरानुमा व एक पाटोर खुली व चारो तरफ दीवार की हुई है। इसी तरह भूखण्ड संख्या 7 श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण, भूखण्ड संख्या 2 बृजलता पत्नी श्यामसुन्दर शर्मा को सायल के पिता गुलशन ने विक्रय किया था जिस पर क्रेतागण ने करीब 4–4 फीट ऊंची दीवार की हुई है। भूखण्ड संख्या 3 व 4 श्यामलाल शर्मा निवासी बैराडा ने सायल के पिता से खरीदे हैं जिन पर भी उनकी बाउण्ड्रीबाल हो रही है। भूखण्ड संख्या 5 मुकेश शर्मा निवासी बैराडा को सायल के पिता ने बेचा है जिसकी नींव भरी हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आबादी के काम आ रही है। सायल ने उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को जानबूझकर मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र टी0आई0 खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 2 ने अपने जबाब में [illegible] किया है कि वादग्रस्त भूमि सायल के पिता गुलशन द्वारा गैरसायल संख्या [illegible] के पक्ष में विक्रय कर दी, अब सायल को बैनामा [illegible] का अधिकार ही नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर करीब 20 वर्ष से खेती नहीं हो रही [illegible]। वहां आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि आवासीय भूखण्डो के रूप में विकसित हो चुकी है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में किया गया बैनामा पूर्णरूप से विधिसम्मत है। सायल ने अपनी अवांछित मांग पूरी करने के लिए गलत तथ्यों पर उक्त अवैधानिक दावा व टी0आई0 पेश की है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3, 4, 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि सायल का यह कहना गलत है कि उसे वाईवर्थ भूमि में हक हासिल हो गया हो बल्कि सायल अपने पिता के साथ शामिल शरीक रहता रहा है, सायल का जो भी हिस्सा है वह अपने पिता के हिस्से में ही समाहित रहा है। सायल के पिता गुलशन ने घरू कार्य हेतु राशि की आवश्यकता होने पर ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 में से अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 15.5.2006 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र गैरसायल संख्या 2 दिनेशचन्द को विक्रय कर कब्जा संभलाया है। यदि सायल के पिता ने बिना किसी अधिकार के भूमि का विक्रय कर सायल के हितों पर कुठाराघात किया है तो सायल को अपने पिता के विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही करनी चाहिए। सायल के पिता ने पूरे परिवारजनों की सहमति से भूमि विक्रय की है। भूमि पर सायल का कब्जा नहीं है बल्कि भूमि पर आवासीय भूखण्ड बने हुए हैं इसलिए भूमि काश्त का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। भूखण्ड संख्या 13, 14, 15, 16 मिन जबाबदारान के हैं जिनपर हदबंदी के रूप में मिन जबाबदारान ने पट्टियां गाड रखी है। मिन जबाबदारान के हक में उक्त खरीदशुदा भूखण्डों का नामान्तरकरण संख्या 444, 445 काफी समय पूर्व ही खुल चुका है जिसका इन्द्राज जमाबंदी में भी अंकित है। गैरसायल संख्या 2 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.5.2008 भूमि सायल के पिता से उसके नाम दर्ज हिस्सा 1/4 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं इसके बाद इस भूमि के आवासीय भूखण्ड बाकर विभिन्न लोगों को विक्रय किए हैं । भूखण्ड संख्या 13 जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 23.8.2006 गैरसायल संख्या 3 श्रीमती सुशीला देवी को भूखण्ड संख्या 14, 15, 16 दि0 23.8.2006 को संयुक्त रूप से गैरसायल संख्या 3, 4, 5 को विक्रय किए हैं जो भूमि ख0नं0 303 की भूमि में है। खरीद के समय से ही मिन जबाबदारान का इन पर कब्जा है। मिन जबाबदारान के पक्ष में भूमि का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हुआ है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से ही नल एण्ड वोइड घोषित करवाया जा सकता है। सायल ने बिना किसी आधार के वादकारण अंकित कर यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किए हैं जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स०मा०)

टी0आई0 प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 7 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 से सायल का कोई वास्ता नहीं है। सायल ने गलत आधारों पर दावा व टी0आई0 प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है। मृतक देवीलाल के हिस्से की भूमि में सायल व सायल के भाईयों का कोई हिस्सा नहीं है। गैरसायल नं0 8 दिनेशचन्द ने भूमि खरीदने के बाद रिहायशी भूखण्ड बनाकर अलग अलग भूखण्ड जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिए हैं। दिनांक 22.8.2006 को भूखण्ड संख्या 12 गायत्री देवी पत्नी राजकुमार सोनी को, भूखण्ड संख्या 10, 11 रेखा पत्नी अशोक कुमार सोनी व पिंकी पत्नी विष्णुदत्त सोनी को विक्रय कर उनको कब्जा संभला दिया है। इसके बाद भूखण्ड संख्या 12 को गायत्री देवी से दिनांक 13.4.2013 को मिन जबाबदार ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। दिनांक 13.4.2013 को भूखण्ड संख्या 11 रेखा एवं पिंकी ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया । दोनों भूखण्डों की नाप 50वाई 40 फीट है पर मिन जबाबदार ने नींव भरवाकर दासाबंदी करीब 5 फीट ऊंची करवा दी है। इस तरह भूखण्ड संख्या 11 व 12 पर मिन जबाबदार का कब्जा एवं स्वामित्व है। इससे सायल का कोई वास्ता नहीं है। सायल के पिता गुलशन ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सही प्रकार से भूमि का विक्रय कर कब्जा संभलाया है जिसे चैलेन्ज करने का सायल को कोई अधिकार नहीं है। सायल की नियत खराब है इस कारण उसने झूंठा मुकदका किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 10 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में जबाबदार का 1/2 हिस्सा है। सायल को अपने पिता गुलशन के जीवनकाल में इसमें कोई हक नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो उसके पिता गुलशन व उसके समस्त भाई बहनो में बट हो जाने पर नियमानुसार मिलेगा। मिन जबाबदार कभी गोद गया ही नहीं। गुलशन का एक भाई देवीलाल कहीं गुम हो गया है उसका विगत 7 साल से ज्यादा समय से कोई पता नहीं है इसलिए कानूनन उसकी मौत हो चुकी है। गुलशन के 4 पुत्र अजय, संजय, जुगलकिशोर व मोनू तथा एक पुत्री बीना [illegible] वंशवृक्ष में नहीं बताया गया है। गुलशन के तीन बहनें [illegible] शान्ती व [illegible] है। मीना की मृत्यु हो गई है उसके वारिस उसके पुत्र [illegible] हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 303 में गैरसायल संख्या 10 प्रभू का 1/2 हिस्सा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

...कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

तथा 1/2 हिस्सा श्रीचंद के अन्य वारिसान का है। देवीलाल का हिस्सा उसके वारिस भाई गुलशन, बहन कैलाशी, शान्ती तथा दिवंगत बहन माना के वारिस बच्चू, लाला, धरमू के हक में मर्ज होने पर गुलशन को आधी भूमि 1/2 में से 1/8 भाग प्राप्त होता है। जिसमें अजय सायल को केवल 1/40 हिस्सा नोशनल शेयर अर्थात 35 एयर भूमि का 1/40 हिस्सा 1 एयर से भी कम मिलेगा। यह जानते हुए भी सायल ने यह मुकदमा पक्षकारान को परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है। सायल के चाचा देवीलाल का विगत काफी समय से पता नहीं चल रहा है परन्तु सायल या उसके पिताने उसको मृत घोषित करवाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। गुलशन की बहस माना का देहान्त हो गया है, माना के वारिसों को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। गुलशन ने दिनेश को जो भूमि बेची है उसके लिए सायल को अपने पिता व क्रेता के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। वादग्रस्त भूमि में गैरसायल संख्या 10 का 1/2 हिस्सा है जिससे सायल या उसके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। सायल ने मुकदमे में मिन जबाबदार को पक्षकार ही नहीं बनाया था, मुकदमे का पता लगने पर स्वयं ने प्रार्थना पत्र देकर पक्षकार बनने की कार्यवाही की है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल नं0 12 की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सायल का विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है, सायल का पिता गुलशन पूर्व में भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व 7 को कर चुका है, भूमि में आबादी बस चुकी है, भूमि कृषि योग्य नहीं रही है इसलिए दावा इस न्यायालय हाजा में चलने योग्य ही नहीं है। सायल ने सजरा गलत पेश किया है। देवीलाल मरा नहीं है बल्कि गायब है। श्रीचंद की एक पुत्री माना मर चुकी है उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है। बंशी के प्रतिवादी संख्या 12 प्रभु पुत्र बताया गया है परन्तु वह लड्डू पुत्र हरपाल के गोद नहीं गया था। लड्डू की पगडी जबाबदार के पिता कन्हैया के बंधी थी, लड्डू की जमीन जबाबदार के पिता कन्हैया, हजारी, प्रभु, जम्बू, मूडया व लड्डू की पुत्री गुलाब में बंटी थी जिसे गुलबो ने विक्रय कर दी। इस प्रकार पूरी भूमि में रिहायशी मकान बने हुए हैं। उक्त भूमि करीब 20 साल से आबादी के काम आ रही है। पैसा ऐंठने की गरज से सायल ने [illegible] झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सायल के पिता गुल[illegible] भूमि बेच चुके हैं। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का [illegible]र्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स0मा0)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031, फोटोकोपी नकल भूमि एकीकरण खतौनी सं0 2016, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध विभाग, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल पुत्र श्रीचंद गुर्जर, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 444 दि0 6.2.2009, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 6.2.2009, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 18.07.2006, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 23.8.2006, 17.5.2006, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में किसी भी गैरसायल की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि सायल के पिता की खातेदारी की भूमि रही है जिसे सायल के पिता ने बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के बेचान कर दिया जबकि भूमि पैत्रक रही है। भूमि पर सायल का कब्जा काश्त है। गैरसायलान सायल को भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए गैसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकीलों ने अपनी बहस में कहा है कि सायल के पिता ने गैरसायल संख्या 2 को भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेची है व गैरसायल संख्या 2 ने भूमि पर भूखण्ड बनाकर जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कई गैरसायलों को बेचान कर दिया है। भूमि पर विगत 20 वर्षो से काश्त नहीं हो रही है एवं भूमि पर आबादी हो चुकी है। भूमि पर सायल का एवं उसके पिता का कब्जा ही नहीं है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने की मांग की है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। यह मुकदमा इस न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत [illegible] अवलोकन किया। फोटोकॉपी रजिस्टर्ड विक्रपत्र दिनांक 17.5.2006 [illegible] अनुसार सायल के पिता गुलशन कुमार ने भूमि ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर में उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

हिस्सा 1/4 दिनेशचन्द पुत्र महेशचन्द जांगिड गैरसायल नं0 2 को विक्रय किया है। इस रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 18.7.2006 क्रेता दिनेशचन्द के नाम खुला है। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 में दिनेशचन्द के नाम हिस्सा 1/4 की भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। फोटोकोपी नकल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 23.8.2006 के अनुसार 1/4 हिस्से के खातेदार दिनेशचंद ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि में से श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती ममता सोनी को भूखण्ड संख्या 14, 15, 16 एवं श्रीमती सुशीला देवी सोनी को भूखण्ड संख्या 13 विक्रय किया है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 444 एवं 445 दिनांक 6.2.2009 क्रेतागण के नाम दर्ज हुआ है एवं नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार इन चारो खरीददारों का नाम भूमि ख0नं0 303 में बतौर खातेदार दर्ज है। जिन जिन गैरसायलान ने अपने अपने जबा ब पेश किए हैं उन सभी में इन्होने वादग्रस्त भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान हो जाना तथा इन पर आबादी हो जाना बताया है। यहां तक कि भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार गैरसायल संख्या 10 ने भी अपने जबाब में सायल के पिता द्वारा भूमि गैरसायल संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से बेचना व गैरसायल संख्या 2 द्वारा भूमि को अन्य गैरसायलान को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचने का तथ्य अंकित किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदियों की फोटोप्रतियों से वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है तथा भूमि पर प्रथम दृष्टया केस सायल का नहीं होकर गैरसायलान का प्रमाणित होता है। वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड दस्तावेजों द्वारा बेचान हुआ है एवं भूमि पर कब्जा भी सायल का प्रमाणित नहीं है इसलिए सुविधा संतुलन भी सायल के पक्ष में नहीं है। इस दोनों बिन्दुओं का गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण अतुलनीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में ही जाता है। फलस्वरूप सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया जाता है ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
90/2013 दावा	22.5.2013	25-11-2019
55/2013 टी0आई0	22.5.2013	
अजय वगैरा	बनाम	संजय वगैरा

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 7 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी दिनेशचंद की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 दिनांक 15.6.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी नं0 4 की 1/4 हिस्से की भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.5.2006 को खरीदी थी। दावे के नोटिस मिलने पर प्रतिवादी द्वारा श्री मोहम्मद इस्लाम खान एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी ने अपनी खरीदी गई भूमि का विक्रय दिनांक 23.8.2006 को प्रतिवादी नं0 9, 10, 11 को कर दिया था। प्रतिवादी की आर्थित स्थिति कमजोर हो गई थी इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए प्रतिवादी जयपुर चला गया है एवं छोटी मोटी नौकरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। प्रतिवादी के वकील साहब से प्रतिवादी ने कह दिया था कि प्रतिवादी जयपुर रहता है, मुकदमे में नियमित रूप से आना सम्भव नहीं है तब प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी को कह दिया था कि जब भी प्रतिवादी की जरूरत होगी वे फोन करके बुला लेंगे। प्रतिवादी अपने वकील साहब के विश्वास में रह गया। उसके बाद प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 31/2017 उनवानी अजय बनाम सुरेश के नोटिस प्राप्त हुए तो प्रतिवादी ने दिनांक 2.5.2018 को श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट का अभिभाषण पत्र कोर्ट में दाखिल करवा दिया। इस टी0आई0 प्रा0पत्र के नोटिस के साथ नकल टी0आई0 नहीं मिली थी इसलिए प्रतिवादी ने वकालतनामासाइन कर दिनेश जी को दे दिया था तथा उनसे कहा था कि आप कोर्ट से उक्त प्रार्थना पत्र की कापी लेकर मुझे सूचित कर देना परन्तु पत्रावली में अतिरिक्त कापी नहीं होने के कारण [illegible]0 की प्रति प्राप्त नहीं हो पाई। दिनांक 17.5.18 को जब [illegible] प्रतिवादी नं0 11 का पति केशव बाजार में मिला तब उसने [illegible] कि प्रतिवादी के विरूद्ध दावे में एकतरफा कार्यवाही के आदेश [illegible]। इसके बाद प्रतिवादी श्री मोहम्मद इस्लाम खान एडवोकेट से मिला तो उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया। इसके बाद प्रतिवादी ने श्री आलोक गोयल एडवोकेट को अपना वकालतनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दिया तथा दावे की आदेशिका की नकल प्राप्त की। नकल देखने से ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 23.11.2016 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश हो गए हैं। प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के विश्वास में रह गया तथा वर्तमान में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जयपुर में नौकरी कर रहा है जिसके कारण वह दावे में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाया है। प्रतिवादी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। दावा प्रतिवादी की पंजीकृत विक्रयपत्र से खरीदी गई जमीन से सम्बन्धित है जिसमें प्रतिवादी के हित नीहित हैं। न्यायहित में प्रतिवादी को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 23.11.2016 को किए गए एकतरफा कार्यवाही के आदेश निरस्त किए जाकर प्रतिवादी को दावे की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का आदेश देने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

इन प्रार्थना पत्रों के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादी मुकदमे में पक्षकार था एवं उसके अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होना मुनासिव है। प्रतिवादी ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने की बात कही है उसके बाद भी उसका यह दायित्व है कि वह मुकदमे में पैरवी के लिए सजग रहता जो कि वह पूर्णतः नेग्लीजेन्ट रहा है। प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात गलत है, उसके पास अपना धंधा है क्योंकि जमीन की खरीद फरोख्त बिना पैसे नहीं हो सकती है। प्रतिवादी के विरूद्ध जब 23.11.2016 को एकतरफा कार्यवाही हो चुकी थी तो वह इसे निरस्त कराने हेतु 2018 तक खामोश क्यों रहा, इसका स्पष्ट कारण प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी नं0 11 का पति केशव उसे गंगापुर में मिला हो क्योंकि प्रतिवादी नं0 11 का निवास स्थान तो बामनवास है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य झूंठे अंकित किए हैं। प्रतिवादी अपने अभिभाषक निरन्तर बदलता रहा है और प्रकरण को लम्बा करता रहा है जो उसके कन्डक्ट से साबित है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र तहत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

इसी प्रकार वादी की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब भी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने सही तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि में प्रतिवादी का हित निहित है इसलिए उसके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त किया जाना न्यायहित में है। प्रतिवादी को जैसे ही एकतरफा कार्यवाही की जानकारी हुई प्रतिवादी ने इसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested

उप जि[illegible]
गंगापुर [illegible]

निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं डिले की माफी के लिए भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वादी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी अपने मुकदमे के प्रति लापरवाह रहा है। उसके विरूद्ध हुए मुकदमे की जानकारी हेतु उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। अब वह इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुकदमे को देरीना करना चाहता है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी ने डिले के लिए कोई स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि में प्रतिवादी का हित नीहित होना पाया जाता है। प्रकरण अभी तनकी की स्टेज पर है, न्यायहित में प्रतिवादी का मुकदमे में पैरवी किया जाना हम उचित समझते हैं फलस्वरूप प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी दिनेशचंद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया है जिसके लिए प्रतिवादी पर रू0 500/- कोस्ट कायम की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25-1-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested